



सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. सुनील खुराना¹ श्रीमती प्रतिमा शर्मा²

¹ शोध पर्यवेक्षक (शिक्षा विभाग, द. आई. आई. एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर 302020 राजस्थान)

² शोधकर्त्री (शिक्षा विभाग, द. आई. आई. एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर 302020 राजस्थान)

प्रस्तावना

किसी देश के भविष्य की रूपरेखा शिक्षा पर ही निर्भर करती है। शिक्षा ही एक सबल माध्यम है जिसे प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार कर केवल जनतंत्र ही नहीं, वरन् देश एवं विश्व में चेतना नवीनता एवं प्रबुद्धता का संचार किया जा सकता है। शिक्षा एक दिव्य ज्योति है जो व्यक्ति के अन्तःकरण को प्रकाशित करने के साथ ही साथ बाह्य जगत को भी अपने प्रकाश से आलोकित करती है। यह व्यक्ति की मूल क्षमता (शारीरिक, मानसिक आदि) जो जन्म के साथ मिलती है, के संवर्द्धन का कार्य करती है। शिक्षा मनुष्य जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ चुनौतियों का सामना करने की कला में भी पारंगत बनाती है।

सरकारी विद्यालय के शिक्षक जब विद्यालय समय में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त सामुदायिक कार्य करते हैं तो उन्हें विद्यालय से बाहर समुदाय में जाकर कार्य करने पड़ते हैं। इन सामुदायिक कार्यों की प्रकृति एवं संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अध्यापकों का बहुत समय सामुदायिक कार्यों को पूरा करने में खर्च होता है। अतः शोधकर्त्री के समक्ष यह प्रश्न उभरकर आता है कि जो कार्य शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक करते उनके प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति कैसी है तथा सामुदायिक कार्य करते हुए उनकी व्यावसायिक

संतुष्टि भी प्रभावित होती है या नहीं। अतः उपर्युक्त समस्या शोध समस्या के रूप में उभरकर आती है कि शिक्षकों की स्वयं की सामुदायिक कार्य करने की अभिवृत्ति है या नहीं। क्या लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, शिक्षण अनुभव आदि के आधार पर सामुदायिक कार्य करने के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर आ सकता है? क्या सामुदायिक कार्य करने से अध्यापकों की व्यावसायिक संतुष्टि प्रभावित होती है तथा लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, योग्यता, वैवाहित स्थिति एवं शिक्षण अनुभव के आधार पर भी व्यावसायिक संतुष्टि में अन्तर हो सकता है? क्या सामुदायिक कार्यों के प्रति अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक संतुष्टि में संबंध पाया जाता है? क्या पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक इन सामुदायिक कार्यों को सहजता से कर पाती है या नहीं? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए शोधकर्त्री ने इस शोधकार्य की आवश्यकता महसूस की।

शोध निष्कर्ष से यह प्राप्त होता है कि—

- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।
- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।' अस्वीकृत होती है।
- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व शहरी स्त्री शिक्षिकाओं की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता। अस्वीकृत होती है।

भूमिका:

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुंमुखी विकास करना है। ऋग्वेद में बताया गया है शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर व आत्मसात करती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान चरित्र व व्यवहार को आकार एवं रूप प्रदान किया जा सकता है। एडीसन –शिक्षा मानव के लिए वैसी है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्पकला है, शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली वह प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य चरित्र निर्माण है।

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार – शिक्षा व्यक्ति के शरीर व आत्मा के सौन्दर्य व पूर्णता का विकास करने में सक्षम है। शिक्षा व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिक का निर्वाह करती है। किसी समाज की शिक्षा का लक्ष्य उस समाज के लक्ष्य और

आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। वैश्वीकरण के युग में कोई भी समाज तब तक विकसित समाज नहीं हो सकता है, जब तक उस समाज की शिक्षा देने का ढांचा पूरे विश्व की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हो। ऐसी स्थिति में शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा विभिन्न रूपों में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा।

औपचारिक शिक्षा – विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली वह शिक्षा है जिसके उद्देश्य निश्चित पाठ्यक्रम व समय सारिणी के अनुसार निश्चित अवधि में पूरे किये जाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा – परिवार व समुदाय में रहकर हम जो कुछ सीखते हैं तथा उनमें से वह सब जो समाज सीखाना चाहता है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है।

निरौपचारिक शिक्षा – यह शिक्षा न तो औपचारिक शिक्षा की भांति नियमों पर आधारित है, न ही आकस्मिक रूप से चलती है। इसमें समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनवरत शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा आदि सब निरौपचारिक शिक्षा के साधन हैं।

उपरोक्त शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में से प्रस्तुत शोध का सम्बन्ध औपचारिक शिक्षा से है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्यों व पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने हेतु विद्यालय में दो प्रकार के साधनों का होना महत्वपूर्ण होता है। किसी विद्यालय की पहचान उसके मुख्य साधनों से होती है।

1. भौतिक संसाधन

2. मानवीय संसाधन

भौतिक संसाधनों में विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय अन्य साधन आते हैं जबकि मानवीय संसाधनों में प्रमुख रूप से प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं अन्य सहायक व्यक्ति आते हैं। जबकि दोनों साधन विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कार्य पूरा करने हेतु आवश्यक हैं। लेकिन मानवीय साधन के बिना विद्यालय में अध्ययन अध्यापन संभव ही नहीं है। यह कहा जा सकता है कि विद्यालय भवन तथा अन्य साधन उस मृत शरीर के समान है जिसमें प्राण केवल शिक्षक ही डालता है। क्योंकि शिक्षक ही वह ज्ञान रूपी दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।

शेल्डर ई. डेविस के अनुसार – “किसी विद्यालय की महत्ता शिक्षकों पर निर्भर है।”

अध्यापक एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में तथा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दूसरों को शिक्षा देता है। अध्यापक देश के भावी नागरिकों की दृष्टि में एक आदर्श व्यक्ति होता

है। वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेकर लोकतंत्र के परिचालन को सशक्त बनाता है। अध्यापक समाज में एक निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ आलोचक का कार्य करता है।

राष्ट्र की संवृद्धि और विकास में बाधक भ्रष्टाचार, दंगा-फसाद, शोषण जैसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, समाज विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संसाधन जुटाता है। अतः शिक्षक ही वह शक्ति पुंज है जो शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि राष्ट्र के विकास में शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य करता है। शिक्षक में विद्वता और ज्ञान के विकास की उत्कृष्ट क्षमता होती है। शिक्षक वह धुरी है जिस पर शिक्षा का गुणात्मक विकास निर्भर है।

शिक्षक के गुणों को दर्शाते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा है – “सच्ची सहानुभूति के बिना हम अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे सकते हैं। सच्चा गुरु वही है, जो स्वयं को शिष्य की सतह तक नीचे ला सकता है और अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा से प्रविष्ट कर सकता है तथा शिष्य के मन द्वारा देख और समझ सकता है। ऐसा ही गुरु यथार्थ में शिक्षा दे सकता है। यदि शिक्षक ऐसा कर सकता है तो ही वह नये युग की शुरुआत कर सकेगा। इसके साथ-साथ वर्तमान शिक्षकों का दायित्व चुनौतिपूर्ण है क्योंकि वैश्वीकरण एवं सोशल मीडिया के युग में शिक्षक की भूमिका में नये-नये परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज अध्यापकों से यह अपेक्षा करता है कि अध्यापक स्वयं विभिन्न मानव मूल्यों से सम्पूर्ण है तथा अपनी शिक्षा व स्वयं के आचरण द्वारा विभिन्न मानव मूल्यों को छात्रों में अधिरोपित करे, ताकि छात्र भविष्य में देश के अच्छे एवं सच्चरित्र नागरिक बन सकें।

क्योंकि एक अध्यापक की भूमिका नए कार्यों एवं चुनौतियों से भरी होती है। पूर्व औद्योगिक समाज में अध्यापक की भूमिका अनिवार्य रूप से एक रूढ़िवादी अभिकर्ता के रूप में थी, वह वृहत् रूप में परम्परागत ज्ञान एवं मूल्यों को संप्रेषित करने के लिए ही उत्तरदायी होता था। कुल मिलाकर सीखने की कुशलता एक पिता से पुत्र में तथा एक शिल्पकार से उसके शिष्य में अनौपचारिक रूप से आ जाती थी, यह सीमित भूमिका 20वीं सदी के जटिल एवं अन्योन्याश्रित समाज में बनाई नहीं रखी जा सकी। परिणामतः शिक्षक की भूमिका अधिक से अधिक जटिल एवं कठिन हो गई, बच्चों के समाजीकरण की जिम्मेदारी धीरे-धीरे परिवारों, समुदायों, धार्मिक संगठनों से शैक्षिक संस्थाओं पर

स्थानान्तरित कर दी गई। विद्यालय से अब यह आशा की जाती है कि वे बालकों को सामाजिक बनाने एवं शिक्षित बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाए, अभिभावक एवं समुदाय शैक्षिक संस्थाओं से इस जिम्मेदारी की अपेक्षा कर रहे हैं कि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण व सामुदायिक निर्णय लेने में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी का समावेश करे। अगर हम अध्यापक की भूमिका की कल्पना करें तो हम उसे एक प्रबंधक के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि परम्परागत अध्यापक के रूप में शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना, समाजीकरण एवं मूल्यांकन करने के साथ-साथ वह अतिरिक्त पाठचर्या नियोजन, समय प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन, साधन प्रबंधन, नवाचार, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन कार्य निष्पादन भी करता है। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सरकारी विद्यालय के अध्यापकों को इन कार्यों के अतिरिक्त बहुत सारे सामुदायिक कार्य भी करने होते हैं जो कि उपर्युक्त शैक्षिक एवं प्रबन्धकीय दायित्व के अतिरिक्त होते हैं।

सामुदायिक कार्य से अभिप्राय है कि वे सभी कार्य जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विद्यालय के अन्तर्गत शैक्षिक और सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त करने होते हैं जिनकी सूची अग्रलिखित है—

स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय को प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

I. चुनाव सम्बन्धी कार्य –

चुनाव सम्बन्धी निम्न कार्य किये जाते हैं –

1. मतदाता सूची तैयार करना
2. मतदाता सूची एकत्रीकरण व जांच कार्य
3. मतदाता पहचान-पत्र तैयार करना
4. मतदान पहचान-पत्रों का वितरण
5. चुनाव सम्पन्न कराने हेतु कार्य

II. सर्वेक्षण कार्य तथा जनसंख्या से सम्बन्धित कार्य – सरकारी नीतियों के निर्धारण एवं लागू करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। जैसे –

- (1) आर्थिक जनगणना
- (2) पशु गणना
- (3) जनगणना
- (4) शौचालय निरीक्षण कार्य 10 वर्ष में एक बार

III. स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य –

देश की जनता शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ है, यह राज्य का महत्त्वपूर्ण दायित्व है। अतः समय-समय पर सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके और बीमारियों पर नियंत्रण बचाव कार्य किये जा सकें।

- (1) मध्याह्न भोजन का निर्माण, वितरण एवं विवरण प्रस्तुत करना
- (2) पल्स पोलियो
- (3) परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उपस्थिति

IV. अन्य कार्य –

ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी अभाव होता है जिससे बहुत से कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने, ग्रामीण संस्थाओं में लोगों की सक्रिय निर्णय क्षमता को प्रेरित करने के उद्देश्य से बहुत से कार्य चलाये जाते हैं जिनमें शिक्षकों को महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाते हैं। जैसे –

- (1) पंचायत की बैठकों में उपस्थिति
- (2) जनजाग्रति कार्यक्रमों में उपस्थिति
- (3) स्वास्थ्य चेतना रैली
- (4) पौधारोपण
- (5) सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी कार्य
- (6) आपदा राहत कार्य
- (7) जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र सम्बन्धी कार्य
- (8) बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों के लिए राशनकार्ड सम्बन्धी कार्य
- (9) छोटी बचतों को लक्ष्य के साथ पूरा किया जाना

(10) विद्यालय में समस्त डाक सम्बन्धी कार्य

उपरोक्त लिखित कार्य एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के साथ-साथ विद्यालय वातावरण के बाहर प्रत्यक्ष रूप से सम्पादित करने पड़ते हैं। वे शिक्षण कार्य की अपेक्षा इन कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। शिक्षकों से इन कार्यों को करवाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह रहता है कि शिक्षक एक योग्य व्यक्ति होता है और वह इन कार्यों को विश्वसनीय व गोपनीय तरीके से पूरा करने में सक्षम होता है। इन कार्यों को करने के लिए शिक्षकों को कुछ कार्यों के लिए वित्तीय लाभ दिया जाता है और कुछ कार्यों के लिए वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता है।

शोधकर्त्री ने यह अनुभव स्वयं अपनी शिक्षक कार्यकाल में महसूस किया है कि अगर शिक्षक सारे दायित्वों को एक साथ निर्वहन करने का प्रयास करता है। तो उसकी मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, व्यवसायिक कार्यकुशलता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। अतः एक शिक्षक स्कूल, समाज और व्यवस्था के संदर्भ में अपनी भूमिका को किस तरह परिभाषित करता है और निभाता है जिनमें कहीं वह व्यवस्था से टकराता है और कहीं उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास करता नजर आता है।

हाल ही गत माह मार्च में राजस्थान पत्रिका में छपी खबर "तीन शिक्षकों के भरोसे स्कूल" शीर्षक के माध्यम से जयपुर के एक स्कूल में 15 में से 10 शिक्षक व 2 कर्मचारियों के ड्यूटी बी.एल.ओ. काम में लगा दी गई है, पिछले एक पखवाड़े से बच्चे शिक्षकों की राह देख रहे हैं, जबकि शिक्षक कलेक्टर कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं।

नई शिक्षा नीति के लिए मंथन पर इस बात पर केन्द्र सरकार में चर्चा हुई कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाए। (माह अप्रैल, 2015—राजस्थान पत्रिका)

दिनांक 02.09.2015 को पदकपंदमगचतमेणवउ पर एक न्यूज—समाचार प्रकाशित किया गया जिसमें भोपाल सरकार ने शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जायेगा, क्योंकि इससे परीक्षा परिणाम पर खासा असर दिखने में आया है। शिक्षक जाति जनगणना तथा बी.एल.ओ. चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे।

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक केवल उनके काम के दिनों का केवल एक तिहाई समय ही खर्च करते हैं, बाकि अपना समय गैर शैक्षणिक कार्यों

में खर्च करते हैं। अहमदाबाद नगर निगम स्कूल बोर्ड के सदस्यों द्वारा आन्तरिक रिपोर्ट में बताया कि 180 दिनों के शैक्षणिक सत्रों में 58 दिन ही स्कूल खुले, बाकि प्रथम छः महिनों में शिक्षक विभिन्न प्रशिक्षणों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चुनाव ड्यूटियों में व्यस्त रहते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में व्यावसायिक संतुष्टि से तात्पर्य सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा जो सामुदायिक कार्य सरकारी आदेशों के तहत करने पड़ते हैं उनमें बहुत से शिक्षकों को सामुदायिक कार्यों को न चाहते हुए भी करना पड़ता है जिसका प्रभाव उनकी योग्यता, मानसिक, सामाजिक व शारीरिक क्षमता पर पड़ता है। परिणामस्वरूप उनकी व्यवसायिक संतुष्टि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कुछ शिक्षक इन कार्यों को करने में रूचि लेने के कारण तथा विद्यालय कार्य से मुक्त होने के कारण या सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले वित्तीय लाभ मिलने के कारण करना पसंद करते हैं। जिसके कारण इनकी व्यवसायिक संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इनकी व्यवसायिक संतुष्टि का स्तर उच्च देखने का मिलता है। अतः शोधकर्त्री ने सामुदायिक कार्यों को करने से शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि पर पड़ने वाले नकारात्मक व सकारात्मक प्रभाव को देखने हेतु इस तकनीकी शब्द को परिभाषित किया है।

अध्ययन की आवश्यकता—

सरकारी विद्यालय के शिक्षक जब विद्यालय समय में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त सामुदायिक कार्य करते हैं तो उन्हें विद्यालय से बाहर समुदाय में जाकर कार्य करने पड़ते हैं। इन सामुदायिक कार्यों की प्रकृति एवं संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अध्यापकों का बहुत समय सामुदायिक कार्यों को पूरा करने में खर्च होता है। अतः शोधकर्त्री के समक्ष यह प्रश्न उभरकर आता है कि जो कार्य शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक करते उनके प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति कैसी है तथा सामुदायिक कार्य करते हुए उनकी व्यावसायिक संतुष्टि भी प्रभावित होती है या नहीं। अतः उपर्युक्त समस्या शोध समस्या के रूप में उभरकर आती है कि शिक्षकों की स्वयं की सामुदायिक कार्य करने की अभिवृत्ति है या नहीं। क्या लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, शिक्षण अनुभव आदि के आधार पर सामुदायिक कार्य करने के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर आ सकता है? क्या सामुदायिक कार्य करने से अध्यापकों की व्यावसायिक संतुष्टि प्रभावित होती है तथा लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति,

योग्यता, वैवाहित स्थिति एवं शिक्षण अनुभव के आधार पर भी व्यावसायिक संतुष्टि में अन्तर हो सकता है? क्या सामुदायिक कार्यों के प्रति अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक संतुष्टि में संबंध पाया जाता है? क्या पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक इन सामुदायिक कार्यों को सहजता से कर पाती है या नहीं? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए शोधकर्त्री ने इस शोधकार्य की आवश्यकता महसूस की।

अध्ययन का उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सामुदायिक कार्य के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन व सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना, सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि एवं सामुदायिक कार्यों के प्रति अभिवृत्ति में सम्बन्ध का अध्ययन तथा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

इस प्रकार शोध के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना।
2. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना।
3. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

सरकारी विद्यालय के शिक्षक जब विद्यालय समय में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त सामुदायिक कार्य करते हैं तो उन्हें विद्यालय से बाहर समुदाय में जाकर कार्य करने पड़ते हैं। इन सामुदायिक कार्यों की प्रकृति एवं संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अध्यापकों का बहुत समय सामुदायिक कार्यों को पूरा करने में खर्च होता है। अतः शोधकर्त्री के समक्ष यह प्रश्न उभरकर आता है कि जो कार्य शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक करते उनके

प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति कैसी है तथा सामुदायिक कार्य करते हुए उनकी व्यावसायिक संतुष्टि भी प्रभावित होती है या नहीं। अतः उपर्युक्त समस्या शोध समस्या के रूप में उभरकर आती है कि शिक्षकों की स्वयं की सामुदायिक कार्य करने की अभिवृत्ति है या नहीं। क्या लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, शिक्षण अनुभव आदि के आधार पर सामुदायिक कार्य करने के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर आ सकता है? क्या सामुदायिक कार्य करने से अध्यापकों की व्यावसायिक संतुष्टि प्रभावित होती है तथा लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, योग्यता, वैवाहित स्थिति एवं शिक्षण अनुभव के आधार पर भी व्यावसायिक संतुष्टि में अन्तर हो सकता है? क्या सामुदायिक कार्यों के प्रति अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक संतुष्टि में संबंध पाया जाता है? क्या पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक इन सामुदायिक कार्यों को सहजता से कर पाती है या नहीं? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए शोधकर्त्री ने इस शोधकार्य की आवश्यकता महसूस की।

शोध परिकल्पना:

1. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।
2. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।
3. सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।

प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण

अनुसंधान में आँकड़ों के संकलन के पश्चात उनका वर्गीकरण विश्लेषण व व्याख्या की जाती है। क्योंकि उपकरणों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं से कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है। जब तक उनका सांख्यिकी आधार पर कोई विश्लेषण नहीं किया जाये, आँकड़ों को विभिन्न शीर्षकों में वितरित कर सारणीयन किया जाता है। जिससे परिकल्पनाओं के परीक्षण में आसानी हो सके। सारणीयन द्वारा आँकड़ों को वर्गीकृत संक्षिप्त तथा बोधगम्य रूप प्रदान किया जाता है। ताकि उनके सांख्यिकी विश्लेषण व विवेचन में सुविधा हो सके। विश्लेषण करते समय गुणात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हुए व्याख्या प्रस्तुत की जाती है तथा सामग्री को सांख्यिकी प्रविधियों के अनुसार विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया जाता है।

परिकल्पना का विश्लेषण निम्न प्रकार है –

1.1 परिकल्पना

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन।

सारणी संख्या 1.1

ग्रामीण शिक्षक		मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी-मान (t)
	N	M	SD	
ग्रामीण स्त्री (118+82)	200	126.27	32.36	4.14
ग्रामीण पुरुष (154+92)	246	138.34	28.32	

स्वतंत्रता की कोटि $(d.f)=(246+200) - 2=444$

0.05 सार्थकता स्तर पर t मान = 1.96

0.01 सार्थकता स्तर पर t का मान = 2.58

उपरोक्त सारिणी संख्या 1.1 में प्रदर्शित संमको के आधार पर शोधकर्त्री ने यह परिणाम ज्ञात किया है कि प्रस्तुत सारिणी में t का मान 4.14 प्राप्त हुआ है। जबकि

स्वतन्त्रता की कोटि के अंश 444 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर t का अपेक्षित मान 1.96 है। तथा 0.01 सार्थकता स्तर के लिए अपेक्षित मान 2.58 है। प्राप्त मान अपेक्षित मान से अधिक है। अतः शुन्य परिकल्पना संख्या 1.1 'सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।' अस्वीकृत होती है।

1.2 परिकल्पना

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन।

सारणी संख्या 1.2

शिक्षक		मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी-मान (t)
	N	M	SD	
शहरी स्त्री(176+124)	300	164.54	34.32	6.01
शहरी पुरुष(156+98)	254	148.52	28.37	

स्वतंत्रता की कोटि (d.f)=(254+300) - 2=552

0.05 सार्थकता स्तर पर t का मान = 1.96

0.01 सार्थकता स्तर पर t का मान = 2.58

उपरोक्त सारिणी संख्या 1.2 में प्रदर्शित संमको के आधार पर शोधकर्त्री ने यह परिणाम ज्ञात किया है कि प्रस्तुत सारिणी में t का मान 6.01 प्राप्त हुआ है। जबकि स्वतन्त्रता की कोटि के अंश 552 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर t का अपेक्षित मान 1.96 है। तथा 0.01 सार्थकता स्तर के लिए अपेक्षित 2.58 है। प्राप्त मान अपेक्षित मान से अधिक है। अतः 'शुन्य परिकल्पना संख्या 1.2 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।' अस्वीकृत होती है।

1.3 परिकल्पना

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व शहरी स्त्री शिक्षिकाओं की व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन।

सारणी संख्या 1.3

शिक्षक		मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी-मान (t)
	N	M	SD	
ग्रामीण स्त्री (82+118)	200	118.16	28.35	16.29
शहरी स्त्री (176+124)	300	162.18	31.38	

स्वतंत्रता की कोटि (d.f)=(200+300) - 2=498

0.05 सार्थकता स्तर पर t मान = 1.96

0.01 सार्थकता स्तर पर t का मान = 2.58

उपरोक्त सारिणी संख्या 1.3 में प्रदर्शित संमको के आधार पर शोधकर्त्री ने यह परिणाम ज्ञात किया है कि प्रस्तुत सारिणी में t का मान 16.29 प्राप्त हुआ है। जबकि स्वतन्त्रता की कोटि के अंश 498 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर t का अपेक्षित मान 1.96 है। तथा 0.01 सार्थकता स्तर के लिए अपेक्षित मान 2.58 है। प्राप्त मान अपेक्षित मान से अधिक है। अतः शुन्य परिकल्पना संख्या 1.3 "सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व शहरी स्त्री शिक्षिकाओं की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।" अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष:

किसी देश के भविष्य की रूपरेखा शिक्षा पर ही निर्भर करती है। शिक्षा ही एक सबल माध्यम है जिसे प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार कर केवल जनतंत्र ही नहीं, वरन् देश एवं विश्व में चेतना नवीनता एवं प्रबुद्धता का संचार किया जा सकता है। शिक्षा एक दिव्य ज्योति है जो व्यक्ति के अन्तःकरण को प्रकाशित करने के साथ ही साथ बाह्य जगत को भी अपने प्रकाश से आलोकित करती है। यह व्यक्ति की मूल क्षमता (शारीरिक, मानसिक

आदि) जो जन्म के साथ मिलती है, के संवर्द्धन का कार्य करती है। शिक्षा मनुष्य जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ चुनौतियों का सामना करने की कला में भी पारंगत बनाती है।

सरकारी विद्यालय के शिक्षक जब विद्यालय समय में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त सामुदायिक कार्य करते हैं तो उन्हें विद्यालय से बाहर समुदाय में जाकर कार्य करने पड़ते हैं। इन सामुदायिक कार्यों की प्रकृति एवं संख्या को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अध्यापकों का बहुत समय सामुदायिक कार्यों को पूरा करने में खर्च होता है। अतः शोधकर्त्री के समक्ष यह प्रश्न उभरकर आता है कि जो कार्य शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक करते उनके प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति कैसी है तथा सामुदायिक कार्य करते हुए उनकी व्यावसायिक संतुष्टि भी प्रभावित होती है या नहीं। अतः उपर्युक्त समस्या शोध समस्या के रूप में उभरकर आती है कि शिक्षकों की स्वयं की सामुदायिक कार्य करने की अभिवृत्ति है या नहीं। क्या लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, शिक्षण अनुभव आदि के आधार पर सामुदायिक कार्य करने के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर आ सकता है? क्या सामुदायिक कार्य करने से अध्यापकों की व्यावसायिक संतुष्टि प्रभावित होती है तथा लिंग, क्षेत्र, कार्यस्तर, जाति, योग्यता, वैवाहित स्थिति एवं शिक्षण अनुभव के आधार पर भी व्यावसायिक संतुष्टि में अन्तर हो सकता है? क्या सामुदायिक कार्यों के प्रति अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक संतुष्टि में संबंध पाया जाता है? क्या पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक इन सामुदायिक कार्यों को सहजता से कर पाती है या नहीं? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए शोधकर्त्री ने इस शोधकार्य की आवश्यकता महसूस की।

शोध निष्कर्ष से यह प्राप्त होता है कि—

- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व ग्रामीण पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।
- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शहरी स्त्री व शहरी पुरुष शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता।' अस्वीकृत होती है।
- सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण स्त्री व शहरी स्त्री शिक्षिकाओं की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं होता। अस्वीकृत होती है।

सन्दर्भ सूची

1. के. जी. सैय्यदीन—आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ मेरठ, मेरठ पब्लिशिंग हाउस, 1991—92, पृष्ठ संख्या— 62 से 64
2. महेन्द्र मिश्रा — “विवेक निबन्ध मंजूषा” विवेक पब्लिशिंग हाउस 2007, पृष्ठ सं. 121
3. प्रो. एस.पी. चौबे, डॉ. अखिलेश चौबे, एजुकेशनल आइडिलस ऑफ द ग्रेट इण्डिया
4. शिक्षा दर्शन डा. रामशकल पाण्डेय— विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा— 2003 पृष्ठ सं. 232
5. शिक्षा विमर्श — शैक्षिक चिन्तन एवं संवाद पत्रिका अंक 6—1 नवम्बर 2011—फरवरी 2012 सयुक्तांक पृष्ठ सं. 82
6. एच.पी. गुप्ता, अ स्टडी ऑफ जॉब सैटिस्फ़ैक्शन एण्ड थ्री लेवलस ऑफ टीचिंग न्यू एज पब्लिकेशन न्यू दिल्ली पृष्ठ सं. 17—23
7. मिनाक्षी अग्रवाल, जॉब सैटिस्फ़ैक्शन ऑफ टीचर इन रिलेशन टू सम डेमोग्राफिकस् वेल्यूज, पी.एच.डी. थीसिस, आगरा यूनिवर्सिटी
8. जैन, उर्मिला (1998); शिक्षण में सम्प्रेषण व कार्य सन्तुष्टि मूल्य की भूमिका का अध्ययन। राजस्थान शिक्षा विभाग, अनौपचारिक, पृष्ठ 117, जयपुर।
9. चन्द्र एस.एस. एण्ड आर.के. शर्मा, (1997) रिसर्च इन एजुकेशनलस्, एटलांटिक पब्लिसर्स न्यू दिल्ली।
10. यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (1985) वेल्यु आरिंटेडेशन इन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 1985, ए रिपोर्ट ऑफ ऑल इन्डिया कान्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर जयपुर।
11. शंका, अक्ष लेखा (1995); अध्यापक मूल्यों एवं अभिवृत्तियों से सह—सम्बन्ध का कार्य सन्तुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन।